राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनांक 25.2.2006 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, प्रशासनिक कार्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:–

1.	प्रो0 परमात्मा सिंह	अध्यक्ष
2.	डा0 सुरेश चौधरी,,विधायक	सदस्य
3.	श्री पोकरसिंह राठौड (परियोजना निदेशक अनुसंधान प्रतिनिधि निदेशक कृषि)	" "
4.	श्री मनोहर लाल बिश्नोई	" "
5.	डा0 डी. जी. धन्धर	" "
6.	डा0 आर.ए.सिघानियां	" "
7.	डा0 ए.के.धामा	" "
8.	डा0 ए. के. गहलोत	" "
9.	डा0 हनुमान प्रसाद	" "
10.	डा0 एस. जे. सिंह	" "
11.	डा0 रामअवतार शर्मा	" "
12.	श्री एल.एन.गहलोत	सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, कृषि उत्पादन, तथा सचिव पशुपालन ने बैठक में भाग नहीं लिया। डा0 एल.एल.शर्मा ने दूरभाष पर आवश्यक कार्य एवं अस्वस्थता के कारण बैठक में भाग लेने की असमर्थता बताई ।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति ने डा0 पी.0सी0जैन द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डा0 सुरेश चौधरी,, विधायक व डा0 आर.ए. सिघानियां के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया साथ ही श्री पोकर सिंह राठौड निदेशक कृषि के प्रतिनिधि के रूप में पधारने पर स्वागत किया।

राकृवि / बोम–63 / 2006.1 / 999	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 22.10.2005 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए –**
राकृवि / बोम–63 / 2006–1 / 1000	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 22.10.2005 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि निम्न के साथ नोट कर लिया जाए :––** **राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 992 माननीय सदस्य डा0 ए.के.गहलोत द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कार्यरत एवं सेवानिवृत कार्मिकों को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनॉक से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना चाहिए पर विचार बाबत्** पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरणों को विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षण करवा कर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णयार्थ रखा जाए । **राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 994 विश्वविद्यालय द्वारा जारी ऐसे नियमितिकरण आदेश, जिनमें कार्मिक के नाम के आगे कार्यग्रहण तिथि का अंकन हैं, लेकिन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं में नियमितिकरण का आशय कार्मिक के पद पर कार्यग्रहण तिथि से लिया जा कर आदेश जारी करने का प्रस्ताव पारित करने बाबत् ।** **पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरणों को विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षण करवा कर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णयार्थ रखा जाए ।**

	उक्त दोनों प्रकरणों में एक उच्च स्तरिय समिति का गठन किया गया । कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रस्ताव पारित किया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय स्तर पर कोई स्वतंत्र उच्चस्तरीय मंच/कमेटी/संस्था आदि नहीं हैं जिसके समक्ष अधिकारी/कर्मचारी अपनी समस्यां प्रस्तुत कर सके । कर्मचारीं को एक मात्र न्यायालय का ही आधार दिखाई देता हैं, जिसके कारण भी वादकरण बढ रहा हैं । विश्वविद्यालय व कर्मचारियोंके धन एवं श्रम का अपव्यय होता हैं । कर्मचारियों में निराशा एवं उदासिनता व्याप्त होती हैं । राज्यसरकार ने वादकरण को कम करने व प्रार्थी को नियमानुसार आनुतोष देने के लिये प्रत्येक विभाग में प्रिलिटिगेशन कमेटीं का गठन किया गया हैं जिसके परिणाम सकारात्मक बताये गये हैं । अतः यदि विश्वविद्यालय स्तर पर एक उच्चस्तरीय प्रिलिटिगेशन कमेटी का गठन कर दिया जावें,जो प्रारम्भिक स्तर पर प्रकरण का परीक्षण कर लें । यदि नियमानुसार अनुतोष देय हो तो अनुतोष दे दिया जावें । जहॉ पर नियमानुसार अनुतोष देय नहीं हैं विस्तृत कारणों सहित प्रार्थी को कोई भ्रान्ति होगी तो वह भी संतुष्ट हो जायेगा, वादकरण में कमी आयेगी । कमेटी में कुलसचिव, वित्त नियत्रंक, उपकुलसचिव, सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी तथा संबंधित अधिष्ठाता, निदेशक, या नियत्रंण अधिकारी सदस्य होगें तथा विधि अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया जावें । उक्त कार्यवाही विधि अनुभाग द्वारा संचालित की जावें ।
राकृवि/बोम–63/2006–1/1001	कुलपति द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत । पारित **(Resolved)** किया गया कि कुलपति द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पुष्टि कर दी जाए ।

राकृवि / बोम–63 / 2006–1 / 1002	शैक्षणिक परिषद की मीटिंग 28.1.2006 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदन करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए –**
राकृवि / बोम–63 / 2006–1 / 1003	माननीय सदस्य श्री मनोहरलाल बिश्नोई द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें गांधी विद्या मंदिर(GVM) सरदारशहर (जिला चुरू) राजस्थान(NGO) के अंतर्गत कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) में दिनांक 28.1.95 से 27.7.05 (10 वर्ष से अधिक) ट्रेनिग एसोसिएट (सहायक प्रोफेसर) पद पर कार्य कर चुके श्री रणजीत सिंह राठौड के राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में असिस्टेंट प्रोफेसर (एनीमल सांईस) पद पर चयन समिति द्वारा चयनित एवम् नियुक्ति उपरान्त वेतन संरक्षण (Pay Protection) के संबंध में । **प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर पारित (Resolved) किया गया कि चयन समिति ने श्री रणजीत सिंह राठौड के वेतन संरक्षण के संबंध में अनुशंषा नहीं की हैं अतः इनका वेतन संरक्षण नहीं किया जा सकता ।**
राकृवि / बोम–63 / 2006–1 / 1004	**Proposal received from Dr.Suresh Choudhary, MLA to consider the promotion avenues for Veterinary Instructor of the College of Veterinary & Animal Science,Bikaner, either on the basis of ICAR institutions (technical posts) or at par with Rajasthan Animal Husbandry Services as for the post of Veterinary Officer to Sr.Veterinary**